रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1306] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2019/चैत्र 7, 1941
No. 1306] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2019/CHAITRA 7, 1941

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कॉफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2019

का. आ. 1468(अ).—जबकि भारत सरकार के संयुक्त सचिव जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 की 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत विशेष शक्ति प्रदान है ने उक्त उपधारा के अंतर्गत दिनांक 14.09.2018 का ओदश सं. पीडी. 12001/14/2018 – कॉफेपोसा जारी किया जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि श्री अनोवर होसैन उर्फ अनावर हुसैन, पुत्र श्री गनी शेख, निवासी ढोबाकुरा, पोस्ट बॉक्स राजमिता, पी.एस लखीमपुर, जिला-गोलपारा, असम-783129 को नजरबंद रखा जाए और उन्हें प्रेजीडेंसी सुधार गृह, कोलकाता में रखा जाए ताकि माल की तस्करी करने, माल की तस्करी करने में सहायता करने और भविष्य में तस्करी किए गए माल को इधर-उधर पहुंचाने, छुपाने या रखने से दूर रखा जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि उपर्युक्त व्यक्ति भाग गया है या स्वयं को छुपा कर रखा हुआ है ताकि आदेश को कार्यान्वित न किया जा सके।

3. अब, इस प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उपर्युक्त व्यक्ति को इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के 7 दिनों के अन्दर महानिदेशक पुलिस, असम सरकार, गुवाहाटी के समक्ष प्रस्तुत हो।

[फा.सं. पीडी-12001/14/2018-कॉफेपोसा]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

(COFEPOSA WING)

ORDER

New Delhi, the 28th March, 2019

S.O. 1468(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12001/14/2018-COFEPOSA dated 14.09.2018 under the said sub-section directing that Shri Anowar Hossen @ Anawar Hussain, S/o Shri Gani Sheikh, R/o Dhobakura, P.O.- Rajmita, P.S.- Lakhimpur, Dist. – Goalpara, Assam -783129 be detained and kept in Presidency Correctional Home, Kolkata, with a view to preventing him from smuggling goods, abetting the smuggling of goods and engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the Order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Govt. of Assam, Guwahati within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. PD-12001/14/2018-COFEPOSA]

RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.03.28 22:34:02 +05'30'